प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 215/2012

प्रशांत एवं अन्य

बनाम

मेसर्स आस्था इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 216/2012

प्रशांत एवं अन्य

बनाम

मेसर्स आस्था इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

और

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 217/2012

प्रशांत एवं अन्य

बनाम

मेसर्स आस्था इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 08/05/2022 को सूचीबद्ध करे

सही/-

टी.पी.शर्मा,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 215/2012

याचिकाकर्ता: 1. प्रशांत

2. श्रीमती नीति

3. शैलेश

4. श्री गिरिवार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादी: मेसर्स आस्था इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 216/2012

याचिकाकर्ता: 1. प्रशांत

2. श्रीमती नीति

3. शैलेश

4. श्री गिरिवार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादी: मेसर्स आस्था इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

और

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 217/2012

याचिकाकर्ता: 1. प्रशांत

2. श्रीमती नीति

3. शैलेश

4. श्री गिरिवार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादी: मेसर्स आस्था इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिकाएँ

दिनांक 20/04/2012 को आदेश हेतु सुरक्षित रखा जाये

उपस्थित:

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री आशीष ए. भिडे और श्री ए.एन. भक्ता अधिवक्ता उपस्थित

एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

आदेश (8-5-2012)

1. चूंकि दाण्डिक परिवाद प्रकरणों को अभिखंडित करने के लिए दायर की गई उपरोक्त याचिकाएं एक ही प्रश्न से संबंधित हैं, इसलिए इनका निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 215/2012 दाखिल करके याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद क्रमांक 832/2011 में दिनांक 12-11-2010 को पारित आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए परिवाद पंजीवृद किया है।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 216/2012 दाखिल करके याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद करण क्रमांक 831/2011 में दिनांक 11-10-2010 को पारित आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए परिवाद पंजीवृद किया है।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 217/2012 दाखिल करके याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा दाण्डिक परिवाद करण क्रमांक 4/2011 में दिनांक 8-11-2010 को पारित आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए परिवादी दर्ज की है।

5. इन तीनों याचिकाओं में विधि के निम्नलिखित सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं: -

(1) क्या, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन न करने से, विशेष रूप से न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रहने वाले अभियुक्त के मामले में और यहां तक कि अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध की परिवादी के मामले में भी, दाण्डिक कार्यवाही अमान्य हो जाती है?

(2) क्या कंपनी के व्यवसाय संचालन से संबंधित याचिकाकर्ताओं/कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप अधिनियम की धारा 141 (1) के अनुसार अनिवार्य शर्त है?

(3) क्या परिवादी में लगाया गया आरोप अधिनियम की धारा 141 (1) की आवश्यकता को पूरा करता है?

(4) क्या मात्र नोटिस जारी करने से परिवाद प्रस्तुत करने का वाद कारण बनता है?

6. संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं श्री गिरिवार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, जो इस्पात का थोक व्यापार करने वाली कंपनी है और वे कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। वे उत्तरवादी से उधार पर इस्पात खरीदते थे। बकाया भुगतान के लिए अभियुक्तों द्वारा चेक जारी किए गए थे, जिन्हें नागपुर स्थित एक्सिस बैंक में भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन चेक जारीकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिए जाने के कारण उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। इसकी सूचना नागपुर स्थित एक्सिस बैंक ने उत्तरवादी को दिया। याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्तों को डाक प्रमाण पत्र (यूपीसी) के तहत नोटिस भेजा गया। जब इससे मांग पूरी नहीं हुई, तो याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्तों को पंजीकृत नोटिस भेजा गया, जो इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि वे दिए गए पते पर नियमित रूप से अनुपस्थित हैं। इसके बाद, उत्तरवादी द्वारा अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए परिवाद प्रस्तुत की गईं। उत्तरवादी ने अपने अधिकृत प्राधिकारी के. रवि शंकर का शपथपत्र की परीक्षण कथन है। उपरोक्त शपथपत्र के आधार पर, याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत की गई है और समन्स जारी की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और आक्षेपित आदेशों का अध्ययन किया।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि परिवाद के आधार पर संज्ञान लेने के आदेश के मामले में, न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है और न्यायालय को परिवादी की शपथपत्र पर परीक्षण आवश्यक है।

वर्तमान मामले में, सभी अभियुक्त व्यक्ति उस क्षेत्र के निवासी हैं जो न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है, इसलिए न्यायालय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के प्रावधानों के अनुसार मामले की जांच करना अनिवार्य था। यद्यपि, बिना किसी परीक्षण के, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी किया और इस प्रकार अवैधता की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के संशोधित प्रावधान केवल नाममात्र के नहीं हैं। औपचारिकता के तौर पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही शुरू की गई है, इसका अक्षरशः और भावना के अनुसार पालन किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि इस मामले में संपूर्ण विवाद नागपुर स्थित न्यायालय के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, न कि रायपुर स्थित न्यायालय के क्षेत्र में, इसलिए रायपुर स्थित न्यायालय को भी ऐसे अपराध की सुनवाई करने का क्षेत्र नहीं है। उपरोक्त आधार पर, दण्डिक कार्यवाही और आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई है।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **सरोज कुमार पोद्दार बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य**[1] के मामले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिवाद में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्त कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए किस प्रकार और किस तरह से जिम्मेदार था, अभियुक्त ने कोई चेक जारी नहीं किया था और संबंधित समय पर उसने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि उसका इस्तीफा किस तिथि को स्वीकार किया गया था। इन परिस्थितियों में, निदेशक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध ठोस आरोपों के अभाव में,परिवाद के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और कार्यवाही अभिखंडित। विद्वान अधिवक्ता ने **एस.एम.एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य** के मामले का भी अवलंब लिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 141 के तहत परिवादी में यह विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है कि अपराध किए जाने के समय, आरोपी व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय संचालन का प्रभारी और जिम्मेदार था। यह कथन अधिनियम की धारा 141 की एक अनिवार्य शर्त है और परिवादपत्र में इसका उल्लेख करना आवश्यक है। परिवादपत्र में इस कथन के बिना, अधिनियम की धारा 141 की शर्तें पूरी नहीं मानी जा सकतीं। इसलिए, निदेशक मंडल के ऐसे सदस्य के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही अभिखंडित की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने के.के. आहूजा बनाम वी.के. वोरा एवं अन्य[3] के मामले का भी अवलंब लिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कंपनी और उसके निदेशक मंडल द्वारा किए गए

अपराध के मामले में, परिवादी को निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाना आवश्यक है कि वे कंपनी या कंपनी के व्यवसाय संचालन के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी थे। मात्र शब्दों का पुनरुत्पादन अधिनियम की धारा 141 (1) निदेशक मंडल के सदस्यों के खिलाफ समन्स जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

10. वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने परिवादी की शपथपत्र पर परीक्षा नहीं किया है, बल्कि परिवादी ने शपथ पत्र पर अपना साक्ष्य दिया है। परिवादी की शपथपत्र परीक्षा की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अमरजीत सिंह बनाम जसजीत सिंह मामले में, विशेष अधिनियम, अर्थात् परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 145 के अनुसार, शपथ पत्र पर परिवादीकर्ता का साक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन है। इसी दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 879/2011 (रूपेश कुमार धीवर बनाम नितिन श्रीवास्तव) में दिनांक 15-3-2012 के आदेश द्वारा दोहराया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. अधिनियम की धारा 145 (1) के प्रावधानों की प्रयोज्यता के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मेसर्स मांडवी को-ओ बैंक लिमिटेड बनाम निमेश बी. ठाकुर** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 145 (1) में "परिवादी" शब्द के स्थान पर "अभियुक्त" शब्द को शामिल न करने के कारण, अभियुक्त को शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि परिवादी को शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 31 और 32 में निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया है: -

"31. इस प्रश्न पर, हमें डर है कि उच्च न्यायालय ने अपनी सीमा पार कर ली है और ऐसा रास्ता अपनाया है जो विधायी कार्यों को अपने हाथ में लेने के बराबर है।

32. धारा 145 को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट है कि विधायिका ने परिवादी को शपथ पत्र पर साक्ष्य देने का प्रावधान किया है, लेकिन अभियुक्त को ऐसा करने का प्रावधान नहीं किया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 145 की उपधारा (1) में परिवादी के साथ अभियुक्त का उल्लेख न करना विधायिका की मात्र एक चूक थी जिसे आसानी से दूर किया जा सकता था। यद्यपि विधायिका ने अपने विवेक से धारा 145 (1) में 'परिवादी' शब्द के साथ 'अभियुक्त' शब्द को शामिल करना उचित नहीं समझा, इसका यह अर्थ नहीं है कि मजिस्ट्रेट समान तर्क का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को शपथपत्र पर साक्ष्य देने की अनुमति नहीं

दे सकता, जब तक कि ऐसी अनुमति देने से इनकार करने का कोई उचित और तर्कसंगत कारण न हो। उच्च न्यायालय के तर्क में दो त्रुटियाँ स्पष्ट हैं। पहली, यदि विधायिका ने अपने विवेक से "यह उचित नहीं समझा किधारा 145 (1) में 'परिवादी' शब्द के साथ 'अभियुक्त' शब्द को शामिल करना......" उच्च न्यायालय को यह नहीं था की वह अपने स्वयं के अनुमति से किसी कथित कमी को पूरा करे उचित नहीं था। द्वितीय, चेक के अनादरण के मामले में परिवादी और अभियुक्त के साक्ष्यों के बीच समानता स्थापित करने में उच्च न्यायालय त्रुटिपूर्ण था। अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद में परिवादी का मामला काफी हद तक दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित होता है। इसके विपरीत, अभियुक्त कई मामलों में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता और अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्यों के आधार पर ही खड़ा या गिरता है। यदि बचाव पक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो उसके साक्ष्य की प्रकृति आवश्यक रूप से दस्तावेजी नहीं होती; पूरी संभावना है कि बचाव पक्ष इस धारणा का खंडन करने के लिए अन्य प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि चेक जारी करना किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन में नहीं था। चेक के अनादरण के मामले में परिवादी के साक्ष्य और अभियुक्त के साक्ष्य की प्रकृति में यही मूलभूत अंतर है। इसलिए, बचाव पक्ष के साक्ष्य को परिवादी के साक्ष्य के बराबर मानना गलत है और अभियुक्त को भी यही विकल्प उपलब्ध कराया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. शपथ पत्र पर साक्ष्य देने के लिए विशेष अधिनियम, अर्थात् परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में विशेष प्रावधान के आलोक में, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत परिवादी से शपथ पर परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

13. अधिनियम की धारा 141 (1) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, परिवादी को निदेशक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाना आवश्यक है कि वे कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं। केवल यह आरोप लगाना कि वे निदेशक मंडल के सदस्य हैं और इसलिए कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए उत्तरदायी हैं, निदेशक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध संज्ञान लेने और समन्स शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

14. अधिनियम की धारा 141 (1) के तहत निदेशक मंडल के सदस्यों या अन्य ियों के विरुद्ध आवश्यक अभिकथन के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **<u>एस.एम.एस. फार्मास्युटिकल्स</u>** (उपरोक्त) मामले में अधिनियम की धारा 141 की स्थिति को अपने निर्णय के कंडिका 20 में संक्षेप में बताया है, जो इस प्रकार है:

"20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के हमारे उत्तर निम्नानुसार हैं:

(क) धारा 141 के तहत परिवाद में यह विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है कि अपराध किए जाने के समय, आरोपी व्यक्ति प्रभारी था, और कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह कथन धारा 141 की एक अनिवार्य शर्त है और परिवाद में इसका उल्लेख करना आवश्यक है। परिवाद में इस कथन के बिना, धारा 141 की शर्तों को पूरा नहीं माना जा सकता।

(ख) उप-कंडिका (ख) में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। किसी कंपनी का निदेशक होना मात्र किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 141 के तहत उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी कंपनी के निदेशक को कंपनी के व्यवसाय संचालन का प्रभारी और उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। धारा 141 की आवश्यकता यह है कि जिस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाना है, वह संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय संचालन का प्रभारी और उत्तरदायी होना चाहिए। इसे एक तथ्य के रूप में सिद्ध किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में निदेशक का कोई अनुमानित दायित्व नहीं होता है।

(ग) प्रश्न (ग) का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। प्रश्न में कहा गया है कि प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक कंपनी के प्रभारी और उसके व्यवसाय संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसे में, कंपनी में ऐसे पदों पर आसीन व्यक्ति अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत उत्तरदायी हो जाते हैं। प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में अपने पद के कारण, ये व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय संचालन के प्रभारी और उत्तरदायी होते हैं। अतः वे धारा 141 के अंतर्गत आते हैं। जहां तक किसी अनादृत चेक के हस्ताक्षरकर्ता का संबंध है, वह स्पष्ट रूप से इस कृत्य के लिए उत्तरदायी है और धारा 141 की उपधारा (2) के अंतर्गत आएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **<u>सरोज कुमार पोद्दा</u>**र (उपरोक्त) मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि परिवादी को यह विशिष्ट आरोप लगाना आवश्यक है कि किस प्रकार आरोपी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।

16. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **<u>के.के. आहूजा</u>** (उपरोक्त) मामले में कंडिका 21 में निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया है: -

21. यदि धारा 141 के शब्दों का मात्र पुन : उध्धृत करना

(1) परिवाद में यह बात किसी व्यक्ति को अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त है, कंपनी के लगभग प्रत्येक ी/कर्मचारी को बिना किसी अपवाद के, केवल यह कथन करके अभियुक्त बनाया जा सकता है कि अपराध किए जाने के समय वे कंपनी या कंपनी के संचालन और व्यवसाय के प्रभारी और उत्तरदायी थे। इसका अर्थ यह होगा कि यदि

मान लीजिए कि किसी कंपनी की 100 शाखाएँ हैं और एक शाखा से जारी किया गया चेक अनादृत हो जाता है, तो उन सभी 100 शाखाओं के ियों को केवल यह आरोप लगाकर अभियुक्त बनाया जा सकता है कि वे कंपनी के व्यवसाय संचालन के प्रभारी और उत्तरदायी थे। यह बेतुका होगा और अधिनियम के तहत इसका उद्देश्य नहीं है। ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाही का आघात, उत्पीड़न और कठिनाई अंतिम दंड से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है, इसलिए किसी कंपनी के विरुद्ध परिवादी में सभी को अभियुक्त बनाना उचित नहीं है, भले ही अधिनियम की धारा 138 को धारा 141 के साथ पढ़ने की शर्तें पूरी न होती हों।

17. **एस.एम.एस. फार्मास्युटिकल्स** (उपरोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिवादी को अधिनियम की धारा 141 के तहत परिवाद में विशिष्ट अभिकथन करना आवश्यक है कि अपराध किए जाने के समय अभियुक्त व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी और जिम्मेदार था।

18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) में निहित प्रावधानों के अनुपालन न करने के प्रश्न के संबंध में, विशेषकर संबंधित न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाले अभियुक्त के मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) में **'करता है**' शब्द आता है, जो इस प्रकार है: -

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 202 (1)- कोई मजिस्ट्रेट, जिसे किसी ऐसे अपराध की परिवादी प्राप्त होती है जिस पर वह संज्ञान लेने के लिए सक्षम है या जो धारा 192 के अधीन उसे सौंपा गया है, यदि वह उचित समझे, और उस स्थिति में अनिवार्यतः जब अभियुक्त उसके क्षेत्र से बाहर रहता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर सकता है और या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस ी या ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिसे वह उचित समझे, जांच कराने का निर्देश दे सकता है, इस उद्देश्य से कि यह निर्णय किया जा सके कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं:

(क) जब मजिस्ट्रेट को प्रतीत हो कि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय है; या

(ख) जब परिवादी न्यायालय द्वारा न की गई हो, तब तक जब तक परिवादीकर्ता और उपस्थित गवाहों का धारा 200 के अंतर्गत शपथ पर परीक्षण न कर लिया गया हो।"

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 की उपधारा (2) में भी 'करेगा' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'करेगा' शब्द के प्रयोग की प्रकृति पर विचार करते समय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (2) के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने **शिवजी सिंह बनाम नागेंद्र तिवारी और अन्य** के मामले में

यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 202 (2) में प्रयुक्त शब्द 'करेगा' प्रथम दृष्टया अनिवार्यता का सूचक है। यद्यपि, परिवादी द्वारा उद्धृत किसी या कुछ गवाहों की परीक्षण न करना, अपने आप में मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने के से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बशर्ते कि वह संतुष्ट हो कि प्रथम दृष्टया ऐसा करने के लिए मामला बनता है। अपने निर्णय के कंडिका 22 और 27 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया है: -

22. धारा 202(2) के परंतुक में "करेगा" शब्द का प्रयोग प्रथम दृष्टया उसमें निहित प्रावधान के अनिवार्य स्वरूप को दर्शाता है, लेकिन अध्याय 15 तथा धारा 226, 227 और धारा 465 में निहित अन्य प्रावधानों के साथ इसका गहन और आलोचनात्मक विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परिवादी द्वारा उल्लेखित किसी या कुछ साक्षियों की शपथपत्र पर परीक्षण न करना, अपने आप में, संबंधित मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने और समन्स जारी करने का आदेश पारित करने के से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बशर्ते कि वह संतुष्ट हो कि प्रथम दृष्टया ऐसा करने के लिए मामला बनता है। यहां यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि धारा 202(2) के परंतुक में प्रयुक्त शब्द "सभी" को "उसके" शब्द द्वारा समीपत किए गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परिवादी ने परिवाद में नामित सभी साक्षियों या जिनके नाम मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के जवाब में प्रकट किए गए हैं, उनका परीक्षण करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, केवल उन्हीं साक्षियों की परीक्षण करना आवश्यक है जिन्हें परिवादी समन्स जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. न्यायमूर्ति शाह ने केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा **<u>मोइदीनकुट्टी हाजी बनाम कुन्हीकोया</u>** और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **<u>एम. गोविन्दराजा पिल्लई बनाम थंगावेलु पिल्लई</u>** के निर्णयों का भी अवलंब किया और बाद वाले निर्णय में प्रतिपादित सिद्धात को अनुमोदित किया कि धारा 202 एक सक्षम प्रावधान है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट का विवेक है कि वह सीधे प्रक्रिया जारी करे या जांच करे, अभिनिर्धारित किया: (रोजी मामला, एससीसी पृष्ठ 242, कंडिका 16)

16. हम मद्रास उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि धारा 202 एक सक्षम प्रावधान है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट का विवेक है कि वह सीधे समन्स जारी करे या परीक्षण करे। यद्यपि, परीक्षण किए जाने की स्थिति में, अनुपालन न करने पर...

सभी साक्षियों की परीक्षण करने का वैधानिक निर्देश सभी मामलों में आगे की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा, इसके कारण यह है कि-

(क) किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का दावा करते हुए दायर की गई परिवाद में, जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

(ख) जांच करना है या नहीं, यह मजिस्ट्रेट का विवेकाधीन क्षेत्र है।

(ग) यदि उसने परीक्षण करने का निर्णय लिया है, तो भी शपथ पत्र पर साक्षियो का परीक्षण करना उसका विवेकाधिकार है। यदि वह सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय मामले में शपथ पर साक्षियो का परीक्षण करने का निर्णय लेता है, तो वह परिवादी को अपने सभी साक्षियों को पेश करने और शपथ पर उसका परीक्षण करने के लिए कहेगा।

(घ) यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर भी निर्भर करेगा, जो उक्त प्रावधान (धारा 465) का पालन न करने से अभियुक्त को हुए नुकसान पर निर्भर करता है, और

(ई) परंतु प्रावधान के अनुपालन न करने के संबंध में आपत्ति सत्र न्यायालय द्वारा आरोप विचारित किए जाने के प्रारंभिक चरण में ही उठाई जानी चाहिए।

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. मजिस्ट्रेट बिना जांच किए सीधे समन जारी करने के लिए सक्षम है, लेकिन यदि वह जांच करता है और प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तब भी इससे आगे की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 और अधिनियम की धारा 145 के आलोक में, अधिनियम की धारा 145 के अनुसार शपथपत्र पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत साक्ष्य लिया जा सकता है।

21. अतः, उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट होते हैं:-

(1) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 एक विशेष अधिनियम है जिसका सामान्य अधिनियम, अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर अधिभावी प्रभाव है।

(2) अधिनियम की धारा 145 के तहत शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करके परिवादी की जांच करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 में प्रयुक्त शब्द "करेगा " विवेकाधीन प्रकृति का है।

(4) मजिस्ट्रेट को तुरंत प्रक्रिया जारी करने का है, लेकिन यदि वह परिवादी की जांच करता है और अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो भी यह कार्यवाही को अमान्य नहीं

करेगा, यदि यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि ऐसे गैर-अनुपालन से आरोपी को कोई नुकसान हुआ है।

22. उपर्युक्त विधि के आलोक में, परिवादी का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि परिवादीकर्ता ने परिवादी के अनुच्छेद 3, 4, 5 और 6 में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप लगाया है कि वे निदेशक मंडल के सदस्य हैं, कंपनी के व्यवसाय से भलीभांति परिचित हैं और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्ति परिवादीकर्ता से उधार पर इस्पात खरीदते थे और बकाया भुगतान के लिए चेक जारी किए गए थे। परिवादी के अनुच्छेद 8 में यह भी आरोप लगाया गया है कि चेक के अनादरण के बाद, याचिकाकर्ताओं और सभी आरोपी व्यक्तियों को डाक प्रमाण पत्र (यूपीसी) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं और आरोपी व्यक्तियों द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत नोटिस जारी किया गया था जो इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया कि वे उक्त स्थान पर नियमित रूप से अनुपस्थित हैं। याचिकाकर्ताओं, अर्थात् निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के विरुद्ध स्पष्ट और विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं को डाक प्रमाण पत्र (यूपीसी) के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जिन कारणों से नोटिस का जवाब नहीं दिया है, वे यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वे नाममात्र के निदेशक हैं या कंपनी के कामकाज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं या उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है या याचिकाकर्ताओं के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार है। वर्तमान याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने यह दलील नहीं दी है कि उन्हें यूपीसी द्वारा भेजा गया नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. क्षेत्रीय क्षेत्र के संबंध में, परिवादी के अनुसार, परिवादीकर्ता रायपुर स्थित न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्र में अपना व्यवसाय चला रहा है। कंपनी रायपुर में अपना व्यवसाय संचालित करती है। आरोपियों ने परिवादीकर्ता से इस्पात खरीदा है। रायपुर में खरीदे गए इस्पात की लागत के भुगतान के लिए परिवादीकर्ता को चेक जारी किए गए थे और चेक नागपुर में जमा किए गए थे। चेक के अनादरण की सूचना रायपुर में परिवादीकर्ता को दी गई है। यह वह मामला नहीं है जिसमें केवल नोटिस जारी करने के आधार पर complaint.is को खारिज कर दिया जाता है। मामला रायपुर स्थित न्यायालय में दायर किया गया था, लेकिन अपराध/घटना का मुख्य भाग रायपुर स्थित न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्र में घटित हुआ था। प्रतिवादी के अधिकृत व्यक्ति के. रवि शंकर ने अधिनियम की धारा 145 (1) के तहत शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया है। अपने विस्तृत हलफनामे में, उन्होंने अधिनियम की धारा 141 (1) के तहत अपेक्षित अपराध का विवरण स्पष्ट रूप से दिया है।

24. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 और धारा 202 के अंतर्गत जांच का दायरा अत्यंत सीमित है और यह केवल परिवादी में लगाए गए आरोपों की सत्यता या असत्यता का पता लगाने तक ही सीमित है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि धारा 204 के अंतर्गत प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं, या परिवादीकर्ता और उसके गवाहों (यदि कोई हो) के बयानों के आधार पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार न होने के कारण धारा 203 के तहत परिवादी को खारिज किया जाना चाहिए। परन्तु उस स्तर पर की गई जांच पूर्ण औपचारिक मुकदमे का रूप नहीं लेती, जो केवल धारा 204 के अंतर्गत प्रक्रिया जारी होने के बाद ही हो सकता है, जिसमें प्रस्तावित आरोपी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि आरोपी के अपराध या निर्दोषता का निर्णय किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह प्रश्न कि क्या साक्ष्य दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, केवल मुकदमे के दौरान ही निर्धारित किया जा सकता है, न कि इस धारा के अंतर्गत परिकल्पित जांच के चरण में। दूसरे शब्दों में कहें तो, इस धारा के अंतर्गत जांच के दौरान, जांच ी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, जिससे प्रस्तावित आरोपी को नियमित मुकदमे के तहत लाया जा सके और इस जांच के दौरान किसी विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक आरोप लगाया गया है कि वे कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए कैसे उत्तरदायी हैं। यूपीसी द्वारा याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजा गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अपने ज्ञात कारणों से जवाब नहीं दिया और अपनी परिवादीं नहीं बताईं। वास्तविक वाद कारण स्थित न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 में प्रयुक्त शब्द ' करेगा ' विवेकाधीन है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करना, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 145 के आलोक में, अपने आप में घातक या कार्यवाही को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि इससे किसी को कोई हानि न हुई हो। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकार के अनुपालन न करने के आधार पर साक्ष्य पेश किए हैं।

26. उचित विचार-विमर्श के बाद, इस आदेश के कंडिका 5 में प्रतिपादित सामान्य विधि संबंधी प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित प्रकार से दिया जाता है: -

(1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के संशोधित प्रावधानों के तहत जांच, यहां तक कि अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले

न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाले अभियुक्त के मामले में भी, अनिवार्य नहीं है और प्रावधान विवेकाधीन प्रकृति के हैं।

(2) न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के मामले में परिवादी की ओर से प्रस्तुत सामग्री के आधार पर संतुष्ट होने पर सीधे प्रक्रिया जारी करने के लिए सक्षम है।

(3) परिवादी को निदेशक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाने होंगे कि वे कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं। वर्तमान मामले में, परिवाद में लगाए गए आरोप, यूपीसी द्वारा नोटिस जारी किए जाने और नोटिस का उत्तर न दिए जाने से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 141 (1) की आवश्यकता पूरी होती है।

(4) अधिनियम की धारा 138 (सी) के तहत नोटिस जारी करने मात्र से परिवादी दर्ज करने का कारण नहीं बनता, लेकिन वर्तमान मामले में, वास्तविक कार्रवाई रायपुर स्थित न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. परिवादीकर्ता के शपथ पत्र में परिवादी का विस्तृत विवरण और चेक, नोटिस की प्रति और बैंक स्लिप की प्रति जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद, समन्स जारी करने से पहले किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है और न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर संतुष्ट होने पर सीधे समन्स जारी करने के लिए सक्षम है। समन्स जारी करके, विचारण न्यायालय ने कोई ऐसा अवैध कार्य नहीं किया है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत असाधारण अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

28. परिणामस्वरूप, याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं और इन्हें प्रारंभिक चरण में ही खारिज किया जाता है।

सही/-

टी.पी. शर्मा,

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- AYUSH TRIPATHI Advocate